राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

<u>अपील संख्या: - 11082/2017</u>

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
युसुफ खान हाल निवास जे.14, के.के. कॉलोनी वार्ड नं 1 चुरू बाई पास रोड झुंझुनूं , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा, सिविल राईट्स, पुलिस मुख्यालय जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 05-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री बनवारी लाल, उप निरीक्षक पुलिस, उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 22-9-16 से, पूर्व प्रेषित पत्र दिनांक 2-9-16 पर की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी का पूर्व प्रेषित पत्र दिनांक दिनांक 2-9-16 कार्यालय में प्राप्त होना नहीं पाया गया। अतः अपीलार्थी को पत्र दिनांक 17-10-16 से संसूचित करते हुए सूचना का आवेदन मय पोस्टल आर्डर वापिस लौटा दिया गया।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 23-1-18 मय संलग्नक प्रस्तुत कर प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 17-10-16 से प्रेषित विनिश्चय एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 21-11-16 विधिसंगत है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

7. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

8. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

9. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त